

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

UOP/CoE/2025/1028

Date:04.07.2025

सूचना

विषय : संशोधित उत्तीर्ण प्रतिशत नियमावली-2025

विश्वविद्यालय के सभी छात्र/छात्राओं व शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि CBCS and NEP-2020 के उत्तीर्णक नियमावली में प्रबन्ध मण्डल (The Board of Management) द्वारा दिनांक 20.01.2025 (बैठक कार्यवृत्त कार्यसूची संख्या-08) की बैठक में सर्वसम्मति से आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित नये नियम के तहत वि.वि. के सत्र 2025-26 से प्रवेशित सभी पाठ्यक्रमों (BNYS को छोड़कर) की मुख्य परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्णक 45 प्रतिशत होंगे। सभी छात्र/छात्राओं को प्रत्येक विषय की परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। प्रतिशतता की गणना निम्न नियमानुसार की जाएगी-

1.	विषयों के प्रत्येक पाठ्यचर्या/पेपर (सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु आंतरिक व बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक (अधिकतम 100 अंकों में से 45 अंक) प्राप्त करने होंगे।
2.	बाह्य परीक्षा में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे। उदाहरणार्थ- यदि बाह्य विषय का प्रश्न-पत्र अधिकतम 75 अंकों का है तो 25 अंक यदि बाह्य विषय का प्रश्न-पत्र अधिकतम 70 अंकों का है तो 24 अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे।
3.	अन्य नियम यथावत रहेंगे।

Ah.1h
04/07/25

(प्रो. ए. के. सिंह)

परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, कुलपति, मा. कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. मा. प्रति-कुलपति महोदय, प.वि.वि. हरिद्वार।
3. प्रो. सत्येन्द्र मित्तल, निदेशक, ओडीएल, प.वि.वि. हरिद्वार।
4. प्रो. (डॉ.) साध्वी देवप्रिया, संकायाध्यक्षा एवं विभागाध्यक्षा-दर्शनशास्त्र विभाग, प.वि.वि. हरिद्वार।
5. कुलसचिव, वित्ताधिकारी, प.वि.वि. हरिद्वार।
6. सभी विभागाध्यक्ष/कोऑर्डिनेटर/शिक्षक, प.वि.वि. हरिद्वार।
7. स्वामी आर्षदेव, कुलानुशासक, प.वि.वि. हरिद्वार।
8. उप-कुलसचिव, प.वि.वि. हरिद्वार।
9. छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका, प.वि.वि. हरिद्वार।
10. सभी सूचना पट्ट, प.वि.वि. हरिद्वार।
11. कार्यालय प्रतिलिपि।